

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1-dta-rj@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.2(ग)(1) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-। /

दिनांक :- 10-8-2016

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय के कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश / पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

| क्र.स.<br>(1) | लिक नं.<br>(2) | नाम (सर्वश्री) / पदनाम<br>(3)                                | वर्तमान विभाग<br>(4)                                                              | अतिरिक्त कार्य का विभाग<br>(5)                                       | अतिरिक्त कार्य का पद<br>(6)       |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1             | 1090           | राजेन्द्र कुमार शर्मा /<br>सहायक लेखाधिकारी ग्रेड<br>- प्रथम | विकास अधिकारी,<br>पंचायत समिति,<br>पंचायती राज विभाग,<br>अलसीसर, झुंझुनूं - 2156  | उप कोषाधिकारी, कोष एवं<br>लेखा विभाग, मलसीसर,<br>झुंझुनूं - 8000014  | सहायक लेखाधिकारी<br>ग्रेड - प्रथम |
| 2             | 2728           | सत्यपाल / सहायक<br>लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम                  | विकास अधिकारी,<br>पंचायत समिति,<br>पंचायती राज विभाग,<br>सूरजगढ़, झुंझुनूं - 2019 | उप कोषाधिकारी, कोष एवं<br>लेखा विभाग, सूरजगढ़,<br>झुंझुनूं - 8000015 | सहायक लेखाधिकारी<br>ग्रेड - प्रथम |

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभत्ता देय होगा।

  
(पंकज पाटनी)  
निदेशक

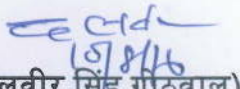
क्रमांक:- एफ.2(ग)(1) अतिरिक्त कार्य/अलेसे-। /

565

दिनांक :- 10-8-2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II) / संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित निजी पत्रावली।

  
(बलवीर सिंह गौठवाल)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)